28/419

प्रत्यावेदी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ।

श्रीमान प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वाद संज्ञेय नहीं प्रस्तुत किया गया राजस्व ग्राम से संबंधित नहीं होने से ग्रामदानी गांव से संबंधित है। यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। किन्तु वादीगण को यह वाद केवल ग्रामदानी गांव संबंधित न्यायालय के समक्ष ही दायर करना था।

किन्तु प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जाता है। किन्तु वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से लौटाया जाता है। प्रत्यावेदी पक्ष को छूट है।

G.D.